बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 169/3भ/१९२न पटना, दिनांक 24.03.18

सं0 सं0–05/उ0 नि0 ब0 (आवंटन)19/2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

वरीय लेखा पदाधिकारी,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– मुख्यशीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0105–पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना–रेशम का विकास, विपत्र कोड–**23-2851007890105** के विषय शीर्ष 0105.26.01–विज्ञापन और प्रकाशन मद से वर्ष 2017–18 में **International Conference on wild Silk Moths** के आयोजन के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलोर को **Sponsorship** राशि रू0 3,00,000/–(तीन लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय **स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 1296 दि0 23.03.2018** के आलोक में उपर्युक्त विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में विषय शीर्ष 0105.26.01–विज्ञापन और प्रकाशन मद से व्यय हेतु रू0 **3,00,000/–(तीन लाख)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना आय–व्ययक शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0105–पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना–रेशम का विकास, विपत्र कोड–23-2851007890105, विषय शीर्ष 0105.26.01–विज्ञापन और प्रकाशन से विकलित होगा।

3 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 एवं समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।
(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

5 राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

6 व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

7 2017–18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 27 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

8 आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 1296, दिनांक 23.03.2018 में निहित निर्देश के अनुरूप किया जाए।

विश्वासभाजन

24/3

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापांक 169/आ०पृ०न० पटना, दिनांक 24.03.18

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 169/आ०पृ०न० पटना, दिनांक 24.03.18

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।